***जनपद – संतकबीरनगर***

***प्रेस नोट***

***दिनाँक 11.09.2025***

***"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 11.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे(एसडी)एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** के *न्यायाधीश* *श्री सुनील कुमार सिंह पंचम* के द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**विवरणः-**

मु0अ0सं0 186/2022 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त रामअनुज पुत्र मुराली निवासी धौरापार थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का सादा कारावास से भुगतना होगा।

***"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को धारा- 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 11.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे(एसडी)एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** के *न्यायाधीश* ***श्री सुनील कुमार सिंह पंचम*** के द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**विवरणः-**

मु0अ0सं0 154/2020 धारा-4/25 आयुष अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त विकाश मिश्रा पुत्र जयगोविन्द मिश्रा निवासी अमरडोभा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा- 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का सादा कारावास से भुगतना होगा।

## *दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **- *थाना मेहदावल पुलिस द्वारा*** 01 वारण्टी नाम पता गोपी सिंह उर्फ सर्वेन्द्र सिंह पुत्र बिल्लर सिंह उर्फ राजेश्वर सिंह निवासी पश्चिम टोला थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, का0 राजकुमार गौंड।

## *मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 97 वाहनों से 1,04,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया*

आज दिनाँक 11.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 97 वाहनों से 1,04,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व अश्लील विडियो बनाकर वायरल करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार***

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 330/2025 धारा 65(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट तथा 67 आईटी एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता मोहित उर्फ छोटू पुत्र स्व0 रामदौड साकिन गिठनी थाना महुली जनपद संतकबीर नगर को कठिनईया पुल के पास से आज दिनाँक 11.09.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 07.09.2025 को वादिनी द्वारा थाना महुली पर बावत उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने और विडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 11.09.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री सोमनाथ मिश्रा, हे0का0 अनिल कुमार।

***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार***

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 218/2025 धारा 87 बीएनएस व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अर्जुन लोधी पुत्र पूर्णमासी निवासी घटरम्हा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गोईठहां रमवापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 10.09.2025 को थाना बेलहरकला पर बावत उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 11.09.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण–*** व0उ0नि0 श्री राजेश दूबे, उ0नि0 श्री मातिवर सिंह यादव, हे0का0 पवन कुमार यादव, का0 दीनानाथ।